# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

*(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)*

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 1301–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि /17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 27 नवम्बर, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

वित्त वेतन आयोग, अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश क्रमशः सं0–6/2017/वे0आ0– 2–03–वी0आई0पी0/दस–2017 दिनांक 30 मार्च, 2017, सं0–8/2017/जी–2–75/दस– 2017– 01 (वे0स0)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 एवं सं0–10/2017/जी–2–190/दस–2017– 01(वे0स0)/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के अवसर पर वेतन निर्धारण किये जाने के सन्दर्भ में विकल्प की सुविधा दिये जाने एवं तद्नुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि के निर्धारण हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किये गये हैं।

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों तथा केस्को के कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्ते उ0प्र0 शासन के सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों/सिद्धान्तों के अनुसार 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित किये जाने के आदेश कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/ 17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3. उ0प्र0 शासन द्वारा जारी किये गये उपर्युक्त विषयक स्पष्टीकरण के अनुसार सम्बन्धित मामलों में तत्सम प्रक्रिया व्यवहृत किये जाने के दृष्टिगत एतद्द्वारा निम्नवत् स्पष्टीकरण जारी किये जा रहें हैं :–

(i) ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 02 जनवरी, 2015 से 01 जुलाई 2015 के मध्य हुई है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 को कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिनकी पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता दिनांक 01 जनवरी, 2016 एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अनुमन्य कराये जाने विषयक कारपोरेशन आदेश सं0–999–काविनी एवं वे0प्र0–29/ पाकालि/17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16–दिनांक 01.09.2017 के निर्गमन की तिथि तक हुई है एवं उनके द्वारा पूर्व में पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि को मूल नियम–22ए (1) के अनुसार तथा पूर्व पद/वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारित किये जाने का विकल्प दिया गया है, को पदोन्नति/ए0सी0पी0 की अनुमन्यता पर वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से एक माह की अवधि में पूर्व में दिये गये विकल्प को परिवर्तित किये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी।

(iii) दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में कार्मिको की प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित कार्मिक को मूल नियम 23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति/ए0सी0पी0 की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम 22(बी)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा। जिन कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन पर विकल्प की सुविधा के आदेश के अभाव में कोई विकल्प नहीं दिया गया है, वह इस आदेश के निर्गत होने की तिथि

*(क्रमशः......2)*

से एक माह के अन्दर अपना विकल्प दे सकेंगे अथवा पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(iv) ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम 22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्हें 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु दिनांक 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि का विकल्प दिया गया है, को आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी और उसके बाद यह वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

(v) दिनांक 01.01.16 को सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारित होने के पश्चात यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 01.01.16 से 06 माह पर दिनांक 01.07.2016 को वेतन वृद्धि प्राप्त कर ली जाती है तो दिनांक 02 जनवरी, 2016 से दिनांक 01 जुलाई, 2016 तक उसकी पदोन्नति होने अथवा ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नय प्राप्त होने पर उसकी अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2017 को देय नहीं रह जायेगी। ऐसी स्थिति में उसे अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2017 को देय होगी।

(vi) कार्यालय ज्ञाप संख्या 999–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–5–काविनी एवं वे0प्र0/16 दिनांक 01.09.2017 द्वारा सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण अनुमन्य कराये जाने हेतु पूर्व प्रस्तुत विकल्प अपरिवर्तनीय रहेंगें।

(vii) उपरोक्त जारी किये जा रहे स्पष्टीकरण के अनुसार समुचित वेतन निर्धारण किये जाने हेतु उदाहरण कमशः संलग्नक 01, 02, 03 एवं 04 पर उपलब्ध हैं।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0 :–1301 –(1)–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2017 तद्‌दिनांक।

*प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।

h:\letter.doc

(कमशः.......3)

10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त)/उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. अनुसचिव (सचिवालय प्रशासन – लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi
(गायत्री रस्तोगी)
**संयुक्त सचिव (कार्मिक)**

h:\letter.doc

कारपोरेशन के आदेश सं0–1301–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 17–5–काविनी एवं वे0प्र0–29 / 16
दि0 27.11.2017 का संलग्नक–1

उदाहरणः–1 किसी कार्मिक की प्रोन्नति / वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.16 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
6. लेवल–6 में रू0 37700 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 37900
7. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 37900
8. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.16 से दि0 01.07.16 की अवधि में होने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2017 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01.01.18 को अनुमन्य होगी ।

| वेतन बैण्ड | **5200-20200** | | | | | | **9300-34800** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | **1900** | **2000** | **2200** | **2600** | **3000** | **4200** | **4600** | **4800** | **5400/ 6600** |
| लेवल | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 19900 | 21700 | 22400 | 27200 | 29800 | 36800 | 44900 | 47600 | 53100 |
| 2 | 20500 | 22400 | 23100 | 28000 | 30700 | **37900** | 46200 | 49000 | 54700 |
| 3 | 21100 | 23100 | 23800 | 28800 | 31600 | 39000 | 47600 | 50500 | 56300 |
| 4 | 21700 | 23800 | 24500 | 29700 | 32500 | 40200 | 49000 | 52000 | 58000 |
| 5 | 22400 | 24500 | 25200 | 30600 | 33500 | 41400 | 50500 | 53600 | 59700 |
| 6 | 23100 | 25200 | 26000 | 31500 | 34500 | 42600 | 52000 | 55200 | 61500 |
| 7 | 23800 | 26000 | 26800 | 32400 | 35500 | 43900 | 53600 | 56900 | 63300 |
| 8 | 24500 | 26800 | 27600 | 33400 | **36600** | 45200 | 55200 | 58600 | 65200 |
| 9 | 25200 | 27600 | 28400 | 34400 | **37700** | 46600 | 56900 | 60400 | 67200 |
| 10 | 26000 | 28400 | 29300 | 35400 | 38800 | 48000 | 58600 | 62200 | 69200 |

कारपोरेशन के आदेश सं0–1301–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–5–काविनी एवं वे0प्र0–29/16
दि0 27.11.2017 का संलग्नक–2

उदाहरणः–2 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 को या उसके पूर्व होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 10.03.16 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.16 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि0 10.03.16 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल–6 में रू0 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 36800
   यह वेतन दि0 10.03.16 से दि0 30.06.16 तक देय होगा
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.16 को लेवल–5 मे एक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
7. प्रोन्नत पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
8. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
9. वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 01.07.16 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000।
10. सातवे वेतन मैट्रिक्स में दि0 01.01.16 को वेतन निर्धारण होने के पश्चात 06 माह पर दि0 01.07.16 को वेतन वृद्धि प्राप्त कर लिये जाने के कारण पदोन्नत के पश्चात अगली वेतन वद्धि दि0 01 जुलाई, 2017 को अनुमन्य होगी।

| वेतन बैण्ड | **5200-20200** | | | | | | **9300-34800** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | **1900** | **2000** | **2200** | **2600** | **3000** | **4200** | **4600** | **4800** | **5400/ 6600** |
| लेवल | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 19900 | 21700 | 22400 | 27200 | 29800 | **36800** | 44900 | 47600 | 53100 |
| 2 | 20500 | 22400 | 23100 | 28000 | 30700 | 37900 | 46200 | 49000 | 54700 |
| 3 | 21100 | 23100 | 23800 | 28800 | 31600 | **39000** | 47600 | 50500 | 56300 |
| 4 | 21700 | 23800 | 24500 | 29700 | 32500 | 40200 | 49000 | 52000 | 58000 |
| 5 | 22400 | 24500 | 25200 | 30600 | 33500 | 41400 | 50500 | 53600 | 59700 |
| 6 | 23100 | 25200 | 26000 | 31500 | 34500 | 42600 | 52000 | 55200 | 61500 |
| 7 | 23800 | 26000 | 26800 | 32400 | 35500 | 43900 | 53600 | 56900 | 63300 |
| 8 | 24500 | 26800 | 27600 | 33400 | **36600** | 45200 | 55200 | 58600 | 65200 |
| 9 | 25200 | 27600 | 28400 | 34400 | **37700** | 46600 | 56900 | 60400 | 67200 |
| 10 | 26000 | 28400 | 29300 | 35400 | **38800** | 48000 | 58600 | 62200 | 69200 |

h:\letter.doc

कारपोरेशन के आदेश सं0– 1301–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–5–काविनी एवं वे0प्र0–29/16
दि0 27.11.2017 का संलग्नक–3

## उदाहरणः–3 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 के पश्चात होने की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17
3. प्रोन्नति की तिथि के पूर्व दिनांक 30.06.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 36600
4. नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात दि0 01.07.17 को वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन रू0 37700
5. प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
6. प्रोन्नति की तिथि का विकल्प देने पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
7. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
8. प्रोन्नति की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
9. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

| वेतन बैण्ड | 5200-20200 | | | | | | 9300-34800 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | **1900** | **2000** | **2200** | **2600** | **3000** | **4200** | **4600** | **4800** | **5400/ 6600** |
| लेवल | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 19900 | 21700 | 22400 | 27200 | 29800 | 36800 | 44900 | 47600 | 53100 |
| 2 | 20500 | 22400 | 23100 | 28000 | 30700 | 37900 | 46200 | 49000 | 54700 |
| 3 | 21100 | 23100 | 23800 | 28800 | 31600 | **39000** | 47600 | 50500 | 56300 |
| 4 | 21700 | 23800 | 24500 | 29700 | 32500 | 40200 | 49000 | 52000 | 58000 |
| 5 | 22400 | 24500 | 25200 | 30600 | 33500 | 41400 | 50500 | 53600 | 59700 |
| 6 | 23100 | 25200 | 26000 | 31500 | 34500 | 42600 | 52000 | 55200 | 61500 |
| 7 | 23800 | 26000 | 26800 | 32400 | 35500 | 43900 | 53600 | 56900 | 63300 |
| 8 | 24500 | 26800 | 27600 | 33400 | **36600** | 45200 | 55200 | 58600 | 65200 |
| 9 | 25200 | 27600 | 28400 | 34400 | **37700** | 46600 | 56900 | 60400 | 67200 |
| 10 | 26000 | 28400 | 29300 | 35400 | **38800** | 48000 | 58600 | 62200 | 69200 |

कारपोरेशन के आदेश सं0–1301–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/17–5–काविनी एवं वे0प्र0–29/16
दि0 27.11.2017 का संलग्नक–4

उदाहरणः–4 किसी कार्मिक की प्रोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जुलाई, 2016 होने के पश्चात की स्थिति में वेतन निर्धारणः–

1. सम्बन्धित कार्मिक के ग्रेड वेतन रू0 3000 के तद्नुरूपी वेतन मैट्रिक्स में वर्तमान लेवल, लेवल–5
2. प्रोन्नति की तिथि 01.05.17
3. प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01.05.17 को वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5 में प्राप्त मूल वेतन 36600
4. प्रोन्नत के फलस्वरूप प्राप्त लेवल, लेवल–6
5. मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अगली वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 का विकल्प देने पर प्रोन्नति की तिथि दि0 01.05.17 को मूल नियम 22(ए)(1) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन लेवल–6 में रू0 36600 की धनराशि से अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 36800
   यह वेतन दि0 01.05.17 से दि0 30.06.17 तक देय होगा।
6. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–5 मे एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 37700
7. प्रोन्नति पर मूल नियम 22(बी)(1) के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाली एक वेतन वृद्धि लेवल–5 में दिये जाने के पश्चात वेतन रू0 38800
8. लेवल–6 में रू0 38800 की धनराशि की कोष्ठिका उपलब्ध न होने के कारण अगली कोष्ठिका की धनराशि रू0 39000
9. वेतन वृद्धि की तिथि दि0 01.07.17 को लेवल–6 में सम्बन्धित कार्मिक का निर्धारित वेतन रू0 39000
10. कार्मिक की पदोन्नति दि0 02.01.17 से दि0 01.07.17 की अवधि में होने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश दि0 01.09.17 तथा इस आदेश के अन्तर्गत अगली वेतन वृद्धि दि0 01 जनवरी, 2018 को अनुमन्य होगी। तत्पश्चात अगली वेतन वृद्धि वार्षिक आधार पर दि0 01 जनवरी, 2019 को अनुमन्य होगी।

| वेतन बैण्ड | **5200-20200** | | | | | | **9300-34800** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | **1900** | **2000** | **2200** | **2600** | **3000** | **4200** | **4600** | **4800** | **5400/ 6600** |
| लेवल | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 19900 | 21700 | 22400 | 27200 | 29800 | **36800** | 44900 | 47600 | 53100 |
| 2 | 20500 | 22400 | 23100 | 28000 | 30700 | 37900 | 46200 | 49000 | 54700 |
| 3 | 21100 | 23100 | 23800 | 28800 | 31600 | **39000** | 47600 | 50500 | 56300 |
| 4 | 21700 | 23800 | 24500 | 29700 | 32500 | 40200 | 49000 | 52000 | 58000 |
| 5 | 22400 | 24500 | 25200 | 30600 | 33500 | 41400 | 50500 | 53600 | 59700 |
| 6 | 23100 | 25200 | 26000 | 31500 | 34500 | 42600 | 52000 | 55200 | 61500 |
| 7 | 23800 | 26000 | 26800 | 32400 | 35500 | 43900 | 53600 | 56900 | 63300 |
| 8 | 24500 | 26800 | 27600 | 33400 | **36600** | 45200 | 55200 | 58600 | 65200 |
| 9 | 25200 | 27600 | 28400 | 34400 | **37700** | 46600 | 56900 | 60400 | 67200 |
| 10 | 26000 | 28400 | 29300 | 35400 | **38800** | 48000 | 58600 | 62200 | 69200 |

h:\letter.doc